रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2017/कार्तिक 9, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 301
No. 385] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2017/KARTIKA 9, 1939 [N.C.T.D. No. 301

भाग—IV
PART—IV

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017

सं0फा0 6/15/2012–न्याय/अधी.विधि./764–768.–परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से तीस हजारी न्यायालय परिसर में सेंट्रल जिले एवं पश्चिम जिले के लिए प्रत्येक में एक, साकेत न्यायालय परिसर में दक्षिण पूर्वी जिले के लिए एक और कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में शाहदरा जिले, पूर्वी जिले एवं उत्तर पूर्वी जिले के लिए प्रत्येक में एक परिवार न्यायालय की स्थापना करते हैं, जिनके क्षेत्राधिकार क्रमशः उपर्युक्त दिल्ली के जिले होंगे।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th October, 2017

No. F. 6/15/2012-Judl./Suptlaw/764-768:—In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 3 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, notifies the establishment of Six Family Courts having jurisdiction over the one each at Central District and West District (in Tis Hazari Courts Complex), one at the South East District (in Saket Courts Complex) and one each at Shahdara District, East District and North East District (in Karkardooma Courts Complex) with effect from 06.11.2017.

स. फा. 6/15/2012–न्याय/अधी.विधि./769–772.–परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त एवं इस विषय में अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 के तहत, प्रदत्त शक्तियों के साथ, दिनांक 06.11.2017 से, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, उनके विरूद्ध उल्लेखित जिलों के लिए नियुक्त करते हैं :–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जिला
1	श्री रविन्द्र डूडेजा	सेंट्रल जिला, तीस हजारी
2	सुश्री मधु जैन कुमार	दक्षिण–पूर्वी जिला, साकेत
3	सुश्री सरिता बीरबल	पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा
4	श्री विनय कुमार खन्ना	उत्तर–पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा
5	श्री अश्विनी कुमार सरपाल	शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा
6	श्री दिनेश भट्ट	पश्चिम जिला, तीस हजारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क उपराज्यपाल के

आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

पवन सिंह राजावत, अतिरिक्त–सचिव

No. F. 6/15/2012-Judl./Suptlaw/769-772.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Family Courts Act, 1984 and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the concurrence of High Court of Delhi, hereby appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as Judge, Family Courts for the Districts as mentioned against their names, with effect from 06.11.2017, in terms of section 4 of the Family Courts Act, 1984, with conferment of powers as such:—

S.No.	Name of the Judicial Officer	District
1	Mr. Ravinder Dudeja	Central District, Tis Hazari
2	Ms. Madhu Jain	South-East District, Saket
3	Ms. Sarita Birbal	East District, Karkardooma
4	Mr. Vinay Kumar Khanna	North-East District, Karkardooma
5	Mr. Ashwini Kumar Sarpal	Shahdara District, Karkardooma
6	Mr. Dinesh Bhatt	West District, Tis Hazari

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

PAWAN SINGH RAJAWAT, Addl. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.03 19:18:55 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.